

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला - टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्या:- 1319/2021

निर्णय दिनांक :- 8/12/2021

उनवानी प्रार्थना पत्र :

राजेश शिरा बनाम तहसीलदार देवली

उपस्थिति :-

प्राथी

तहसीलदार देवली

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

:: आदेश ::

प्राथी राजेश शिरा निवासी सोवतगढ़ ने प्रशासन गांवों के संघ 2021 केम्प/ न्यायालय में पेश कर निवेदन किया है कि वाके ग्राम सोवतगढ़ जमाबंदी सम्वत् 2013-14 के खाता संख्या 231, 281 में दर्ज प्राथी का नाम राजेश शिरा पुत्र राजेश शिरा पुत्र मोतीलाल के स्थान पर राजेश शिरा पुत्र मोतीलाल दुरुस्त राजस्व रिकॉर्ड करवाने हेतु पेश किया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रकरण की जांच तहसीलदार देवली से कराई गई। तहसीलदार देवली ने पटवार हल्का सोवतगढ़ व भू0अ0नि0 2013 की रिपोर्ट सहित प्राथी का नाम उक्त राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त इन्द्राज करने की अभिशंषा की।

प्राथी उपस्थित हुआ। मजमेआम में प्राथी के वास्तविक नाम के सम्बंध में जानकारी ली गई। तहसीलदार देवली से प्राप्त पत्रावली मय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया, जिसमें प्राथी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र उचित प्रतीत होता है।

अतः प्राथी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 एवं राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम 1957 की धारा 369 का स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्रुप -6 विभाग, राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमांक:- 4(1)राज-6/2002/19 के तहत तहसीलदार देवली को वाके ग्राम सोवतगढ़ जमाबंदी सम्वत् 2013-14 के खाता संख्या 231, 281 में दर्ज राजेश शिरा पुत्र राजेश शिरा पुत्र मोतीलाल के स्थान पर राजेश शिरा पुत्र मोतीलाल

दुरुस्त राजस्व अभिलेख करने हेतु अनुमत किया जाता है। निर्णय/आदेश की छाया प्रति तहसीलदार देवली को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखिल क़तर हो।

निर्णय खुले सरे इजलास, कैम्प नारैडा में सुनाया गया।

Dudra
उपखण्ड अधिकारी
देवली